न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्रकुमार बर्मा आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 1/118/2018
वउनवान

1. भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
——— वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर
——— प्रतिवादी

उपस्थित :—
श्री बृजेशकुमार मीना : अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार— प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 128 रकवा 0.63 हे. 427 रकवा 0.97 हे. 400 रकवा 0.05 हे. 463 रकवा 0.34 हे. पूर्ण खसरा नम्बर 368 रकवा 1.00 हे. 424 रकवा 0.38 हे. 365 रकवा 0.59 हे. 425 रकवा 0.55 हे. 409 रकवा 1.06 हे. 366 रकवा 0.14 हे. ग्राम टीकरी तहसील कठूमर में स्थित है। रूपसिंह पुत्र भजनलाल वादी का सगा काका था। रूपसिंह निःसंतान था। रूपसिंह ने अपना बंश कायम रखने के लिये वादी को सन् 1976 में हस्व रिवाज विरादरी गोद ले लिया। जिस वावत वादी के हक में दिनांक 29.08.2011 को विधि मुताविक गोदनामा रजिस्टर्ड कराया था। इस प्रकार वादी रूपसिंह का दत्तक पुत्र व रूपसिंह वादी का दत्तक पिता है। वादी के दत्तक पिता रूपसिंह के राशनकार्ड संख्या 913 में सदस्य सख्या 2 पर वादी का नाम दर्ज है। वादी के पैन कार्ड, बैंक पास वुक, भामाशाह कार्ड में भीमसिंह दत्तक पिता रूपसिंह दर्ज है। ग्राम मुढेरा तहसील नगर में स्थित आराजी खाता संख्या 249 पर वादी का नाम नाबालिग भीमसिंह पि0मु0 रूपसिंह दर्ज है। विवादित आराजी वादी की कयशुदा भूमि है। विवादित आराजी का वयनामा लिखाते समय वयनामा में सहवन से भीमसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज हो गया जवकि सही नाम भीमसिह दत्तक पिता रूपसिंह दर्ज होना चाहिए था। चूँकि रूपसिंह वादी का प्राकृतिक पिता न होकर दत्तक पिता है। विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज रहने से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। अतः वादी विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड में भीमसिंह पुत्र रूपसिंह के इन्द्राज को कलमजन कराकर भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दुरूस्त कराकर अपने नाम खातेदारी घोशित कराने का अधिकारी है। वादी ने इस इन्द्राज को दुरूस्त कराने वावत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट का अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जिस पर तहसीलदार साहव ने अपनी जांच रिपोर्ट में वादी भीमसिंह, रूपसिंह के गोद जाना व कयशुदा भूमि में वादी का नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह होना पाया गया। जिस जांच रिपोर्ट पर अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 27.07.2018 को गौर कर दुरूस्ती के लिये नियमित वाद पेश करने की सलाह दी थी। अतः वादी ने विवादित आराजी

वावत वादी का नाम का इन्द्राज भीमसिंह पुत्र रूपसिंह कलमजन कराकर भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने व दावा वादी मुताविक अनुतोश डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वावत वादी का नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज है। माननीय अदालत के आदेशानुसार जांच रिपोर्ट पेश कर दी है रूपसिंह द्वारा वादी के हक में कराया गया गोदनामा रजिस्टर्ड है। वादी के पहचान के तमाम दस्तावेज में भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज है। ग्राम मुढेरा की भूमि पर वादी का नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज है। विवादित आराजी पर भीमसिह दत्तक पुत्र रूपसिंह किये जाने पर कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है। राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्व किया जाना न्यायोचित है।

वादी ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श–1 किता 11, प्रार्थना पत्र धारा 136 प्रदर्श–2, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 05.07.2018 प्रदर्श–3, जांच रिपोर्ट वावत दत्तक पुत्र दिनांक 06.07.2018 प्रदर्श–4, रजिस्टर्ड गोदनामा की छाया प्रति प्रदर्श–5, परिवार राशनकार्ड की छाया प्रति प्रदर्श–6, पैन कार्ड की छाया प्रति प्रदर्श–7, आधार कार्ड की छाया प्रति प्रदर्श–8, बैंक की पास वुक की छाया प्रति प्रदर्श–9, भामाशाह कार्ड की छाया प्रति प्रदर्श–10 हाल राशनकार्ड की छाया प्रति प्रदर्श 11 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 स्वंय वादी भीमसिंह, गवाह रूपसिंह पी डब्ल्यू 2 गवाह रामेश्वर पी डब्ल्यू 3 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के दावा व प्रतिवादी के जवाव दावा के तथ्यों के आधार पर वाद में कुल 5 तनकियां कायम की गयी जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :

तनकी संख्या 01. इस प्रकार से है कि आया आराजी खसरा नम्बर 128, 427, 400, 368, 424, 365, 2935/4360,425,409 वाके ग्राम टीकरी तहसील कठूमर में दर्ज भीमसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर वादी भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज कराने का अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है।

वहस विद्वान अधिवक्ता वादी व विद्वान पैरोकार की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादी रूपसिंह का दत्तक पुत्र है। रूपसिंह ने अपने जीवनकाल में ही वादी को गोद लेकर दत्तक पुत्र बना लिया था जिसका गोदनाामा रजिस्टर्ड कराया गया है। उक्त आराजी खरीदशुदा है वयनामा लिखाते समय सहवन से वादी के पिता का नाम दत्तक पिता रूपसिंह के स्थान पर भीमसिंह पुत्र रूपसिंह लिख गया। वादी के तमाम पहचान के दस्तावेजों में भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह अंकित है। माननीय न्यायालय द्वारा इस वावत तहसीलदार साहव कठूमर से जांच रिपोर्ट तलव की गयी जिसमें तहसीलदार कठूमर ने वादी को रूपसिंह का दत्तक पिता माना है। ग्राम मुढेरा

की जमीन में वादी का नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज है। हाल राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम रूपसिंह दर्ज चला आ रहा है जवकि भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज होना चाहिए। पैरोकार सरकार ने भी इस दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होना माना है। अतः दावा वादी मुताविक अनुतोश डिक्री कर दिया जावे। विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी वहस में अपने जवाव दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि इस दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

हमने उभय पक्षकारान की वहस सुनी व पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, रजिस्टर्ड गोदनामा वादी के पहचान के दस्तावेजात वयान गवाह व तहसीलदार कठूमर की जांच रिपोर्ट ग्राम मुढेरा की जमाबन्दी का अवलोकन किया व उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी हाल किता 11 में विवादित आराजी वावत वादी के पिता का नाम रूपसिंह दर्ज है। गोदनामा के अवलोकन से ये सही है कि रूपसिंह ने वादी के हक में रजिस्टर्ड गोदनामा कराकर वादी को अपने जीवनकाल में दत्तक पुत्र बना लिया था। वादी के पहचान के तमाम दस्तावेजात प्रदर्श 1 ला0 11 में वादी का नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज है। तहसीलदार कठूमर ने अपनी जांच रिपोर्ट मे विवादित आराजी वादी की खरीदशुदा व रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर रूपसिंह वादी भीमसिंह का दत्तक पिता होना कथन किया है। ग्राम मुढेरा की जमीन में वादी का नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज है। पैरोकार सरकार ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी वावत वादी का नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज किये जाने से राजहित प्रभावित नहीं होते है। गवाह वादी भीमसिंह ने अपने वयान में अपने आपको रूपसिंह के गोद जाना तथा विवादित आराजी का वयनामा लिखाते समय अपना नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह के स्थान पर भीमसिंह पुत्र रूपसिंह वयनामा में सहवन से लिखना व वादी स्वंय द्वारा वाद खरीद से विवादित आराजी पर लगातार काश्त करना कथन किया है। रूपसिंह ने अपने वयानों में स्वंय व पत्नी झुनकादेवी की सहमति से वादी भीमसिंह को अपनी गोद में वैठाकर गोद लेना व रजिस्टर्ड गोदनामा तहरीर कराना स्वीकार किया है। पी डब्ल्यू 3 गवाह रामेश्वर वादी भीमसिंह का सगा भाई है। जिसने भी भीमसिंह को रूपसिंह द्वारा गोद लेना व पिता मनोहरी द्वारा भीमसिंह को रूपसिंह की गोद में वैठाकर गोद देना व भीमसिंह रूपसिंह का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है।

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि वयान गवाहन तहसीलदार कठूमर की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से वादी भीमसिंह रूपसिंह का दत्तक पुत्र प्रमाणित है। विवादित आराजी वावत वयनामा लिखाते क्रेता का नाम भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह के स्थान पर सहवन से भीमसिंह पुत्र रूपसिंह लिखना सावित है। अतः वादी विवादित आराजी वावत अपना नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 02. इस प्रकार से है कि आया वादी रूपसिंह का दत्तक पुत्र है। हाल राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज रहने से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। चूँकि तनकी संख्या 1 के

विस्तृत विवेचन से वादी विवादित आराजी में अपना नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दुरूस्त कराने का अधिकारी पाया गया है। हाल राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज रहने से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पडना संभव है। अतः यह तनकी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 03. इस प्रकार से है कि आया वादी प्रतिवादी को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1–2 वहक वादी सावित हो चुकी है। हाल राजस्व रेकार्ड के वजूद में रहने से प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। अतः वादी प्रतिवादी को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 04. इस प्रकार से है कि आया राजस्व रेकार्ड में भीमसिह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज किये जाने से राजहित प्रभावित नहीं होते है। इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादी पर है। विवादित आराजी वावत वादी भीमसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर भीमसिंह दत्तक पुत्र भीमसिंह किया जाना पैरोकार सरकार का स्वीकारोक्ति कथन है। राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरूस्ती किये जाने से ना तो राजस्व नुकशान होता है ना राजहित प्रभावित होता है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी वहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 दादरसी की है। उपरोक्त सभी तनकियां वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की गयी है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि तहसीलदार कठूमर की जांच रिपोर्ट गोदनामा के अवलोकन व उभय पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर दावा वादी प्रमाणित होने से डिकी करना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादी इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 128, 427, 400, 368, 424, 365, 2935/4360, 425, 409 वाके ग्राम टीकरी तहसील कठूमर वावत सावित होने से डिकी किया जाकर उक्त आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड से वादी का नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह का इन्द्राज कलमजन किया जाकर भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार बर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 8/8/19 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार बर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्रकुमार बर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/118/2018

वउनवान

1. भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर

------ वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर

----- प्रतिवादी

उपस्थित :-

श्री बृजेशकुमार मीना : अधिवक्ता वादी

पैरोकार सरकार- प्रतिवादी की ओर से

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 128, 427, 400, 368, 424, 365, 2935/4360, 425, 409 वाके ग्राम टीकरी तहसील कठूमर वावत सावित होने से डिक्री किया जाकर उक्त आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड से वादी का नाम भीमसिंह पुत्र रूपसिंह का इन्द्राज कलमजन किया जाकर भीमसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 8/8/19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(नरेन्द्र कुमार बर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर